रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018/वैशाख 27, 1940
No. 319]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 2018/VAISAKHA 27, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 458(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**— वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	92* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में स्तर - 4	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।
(11)
75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोन्नति: (i) प्रवर्तन निदेशालय में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष सेवा की हो। (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति प्रवर्तन निदेशालय के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे परिरुद्ध अवर श्रेणी लिपिक की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से उस श्रेणी में कम से कम पाँच वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सेवा के ऐसे अधिकारियों में से

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो या

(ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने स्तर-2 (19900-63200 रु.) में किसी केंद्रीय सरकार के विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से उस श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. प्रवर्तन निदेशक – अध्यक्ष 2. विशेष या अपर निदेशक प्रवर्तन - सदस्य 3. उप सचिव या निदेशक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	82* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (सचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रुपए) में स्तर - 2	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) केवल कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (अनुज्ञात समय 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटा 10500 की डिप्रेशन/प्रति घंटा 9000 की डिप्रेशन के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)

(8)	(9)	(10)
हाँ, स्तम्भ (11) में उपबन्धित विस्तार तक	दो वर्ष	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृत्त की प्रोन्नति द्वारा जिसके पास 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या

.	.	समतुल्य अर्हता हो और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए 50 वर्ष है)*। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी वृन्द से ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 वाले पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

(11)
जैसाकि स्तम्भ (10) में कथित है।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:— 1. प्रवर्तन निदेशक – अध्यक्ष 2. विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक - सदस्य 3. उप सचिव या निदेशक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/12/2017-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Upper Division Clerk & Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules 2012 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post.	No. of posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk.	92*(2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Ministerial).	Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruits.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by Deputation.	75% by promotion failing which by deputation. **Promotion:** (i) Lower Division Clerk in Level 2 (Rs. 19900-63200) in the Directorate of Enforcement having at least 8 years' service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis. (ii) 25% promotion on the basis of Limited Competitive Examination confined to Lower Division Clerk in level 2 (Rs. 19900-63200) of the Directorate of Enforcement having at least five years' service in the grade rendered from the date	**Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:** — (i) Director of Enforcement -(Chairperson) (ii) Special or Additional Director of Enforcement -(Member) (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance	Not Applicable.

			of appointment thereto on a regular basis. Deputation (including short-term contract): Amongst Official of central service (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Lower Division Clerk in level 2 (Rs. 19900-63200) having at least 8 years' service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis in any Central Government Departments. **Note 1**: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	(Member).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division Clerk.	82*(2018) *subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted,	Level -2 (Rs. 19900-63200) in the pay	Non-selection.	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government Servants up to 40 years, in accordance	(i) 12^{th} class or equivalent qualification from a recognised board or university.

	workload.	(Ministerial).	matrix.			with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be fixed by Staff Selection Commission (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.).	(ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi only on computers. (Time allowed is 10 minutes) (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key Depressions per hours/9000 key Depressions per hours on an average of 5 key depressions for each word).

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes, to the extend indicated in column (11).	Two years.	(i) 85% by Direct Recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% by promotion of Group 'C' staff in the level-1 in pay matrix in the Directorate and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Departmental Qualifying Examination failing which by Direct Recruitment. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes). (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C staff who have five years regular service in the post with Level -1 in the Pay Matrix.	As stated in column (10).	**Group 'C' D.P.C. (for confirmation) comprising of: —** (i) Director of Enforcement - (Chairperson) (ii) Special or Additional Director of Enforcement- (Member) (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance-(Member).	Not applicable.

[F.No. A-12018/12/2017-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.18 15:21:25 +05'30'